निग/2839/II/15

82

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा,

## जिला—रीवा (म0प्र0)

Rs 201

273
22.7.15

राजस्व निगरानी क्र................/2015—16

अमीर बैगा तनय स्व0 समाली बैगा उम्र—75 वर्ष, पेशा कृषि निवासी ग्राम सिरौला, तहसील मझौली, जिला—सीधी (म0प्र0) ——————निगरानीकर्ता

**बनाम**

1. रामकरण तेली हीरालाल तेली उम्र—50 वर्ष, पेशा कृषि निवासी ग्राम सिरौला, तहसील मझौली, जिला—सीधी (म0प्र0)

2. मध्यप्रदेश शासन ——————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री आनन्द मणि शर्मा ... के द्वारा आज दिनांक 22.07.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर ... रीवा

**निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार मझौली जिला—सीधी (म0प्र0) के न्यायालयीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 45/अ—19 (2)/1991—92 में पारित आदेश दिनांक —25.01.1993**

**अन्तर्गत धारा—50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959**

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत है :—

1. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम सिरौला तहसील मझौली का पुरतैनी निवासी है निगरानीकर्ता अति वृद्ध व्यक्ति है। निगरानीकर्ता कानून कायदे से अनभिज्ञ बैगा जाति का जंगली निरक्षर आदिवासी है जिससे पास निजी पट्टे की कोई भूमि नहीं है। ग्राम सिरौली तहसील मझौली जिला—सीधी स्थित अधिकार अभिलेख नम्बर 685/1 रकवा 5.868 हे0 म0प्र0 शासन "जंगल" दर्ज भूमि है, जिसमें निगरानीकर्ता के पूर्वज सदियों से आबाद होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के जुज रकवा 1.618 हे0 पर निगरानीकर्ता की आबादी एवं सार

22.7.15

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R2839–II / 15 जिला–सीधी

अमीर बैगा / रामकरण तेली

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 19.07.17 | 1. प्रकरण प्रस्तुत।<br>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।<br>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।<br><br>सदस्य | |